भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला

(आदेश–फलक)

भूमि वापसी वाद संख्या–04 / 2017–18

केस का प्रकार :– भू वापसी

लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव ..... आवेदक

–बनाम–

रामेश्वर राय, पिता–सूर्य देव राय .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
05·08·2020	यह वाद श्री लछु उरांव; पिता–स्व0 शिवु उरांव, निवासी ग्राम–ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, अंचल–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मुसाबनी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक–276, दिनांक–22 / 04 / 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री रामेश्वर राय, पिता–सूर्य देव राय को विपक्षी बनाते हुए वाद प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–	

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
ईचड़ा	1103	220	481	0.08 ए0

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–14 / 09 / 2017 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित बहस में उल्लेख है कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में शिवु उरांव, रामचरण उरांव, मोदी उरांव, तथा पूर्ण उरांव, पिता–धारमु उरांव के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। विपक्षी के द्वारा वर्ष 2003 से छल–परपंच के माध्यम से अवैध रूप से एवं जबरन कब्जा किये हुए हैं। अतः आवेदक धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में उल्लेख है कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ मिथ्या दायर किया गया हैं तथा विधि सम्मत

तरीके में तथा तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सत्यता नहीं है। विवादित भूमि मौजा ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–481, रकवा–0.08 एकड़ से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में शिवु उरांव, राम चरण उरांव, तथा पूर्ण उरांव के नाम से दर्ज है। राम चरण उरांव तथा पूर्ण उरांव के उत्तराधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का भू–वापसी का आवेदन नही दिया है सिर्फ शिवु उरांव के पुत्र ही भू–वापसी का आवेदन दिया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू–वापसी हेतु दायर आवदेन को खरिज किया जाना चाहिए क्योंकि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–481, रकवा – 0.24 एकड़ एवं प्लॉट नं0–495, रकवा–0.05 एकड़ कुल रकवा–0.29 एकड़ भूमि को विपक्षी के पिता सूर्य देव राय के द्वारा Registered Deed of Relinquishment N0.–4296, दिनांक–16/05/70 के माध्यम से शिवु उरांव, राम चरण उरांव, तथा मोती उरांव सभी के पिता–स्व0 धारमु उरांव से प्राप्त किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्ष–1955–56 से विपक्षी के पिता सूर्य देव राय, पिता–जंगली राय के द्वारा शांति पूर्वक दखल कब्जा किये हुए है तथा उक्त भूमि पर वर्ष 1955–56 से पक्का मकान बनाकर दखलकार है। द्वितीय पक्ष के पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके उत्तराधिकरी पुत्र (विपक्षी) ही उक्त भूमि पर बिना किसी प्रकार के विवाद के निवास करते आ रहा है। आवेदक द्वारा वर्ष–2017 को यह वाद दायर किया गया है जो सीमित अवधि 30 वर्षो से अधिक है। मकान का अनुमानित मूल्य 6,00,000.00 (छः लाख) रूपया हैं। विपक्षी का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षो से अधिक उनका दखल कब्जा रहा जबकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71'A'में आवेदन दायर करने के लिए 30 वर्षो के अन्दर करना चाहिए था परन्तु इस वाद मे उससे अधिक अवधि से विपक्षी का उक्त भूमि पर दखल हैं। इस लिए आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहँचता है कि विवादित भूमि वर्ष 1964 के हाल सर्वे खतियान में अनुसूचित जनजाति के सदस्य शिवु उरांव, राम चरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धरमु उरांव के नाम पर दर्ज हैं। आवेदक खतियानी रैयत के पुत्र है। उक्त विवादित भूमि पर विपक्षी अवैध रूप से

दखलकार है। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा विपक्षी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। साथ ही विपक्षी द्वारा 6,00,00.00 (छः लाख) रूपये का पक्का मकान बनाया हुआ है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवेदक की जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन कर अवैध रूप से दखल किया गया है एवं केवाला का निष्पादन कर ली गई।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा 71(A) के तहत आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट न0–481, रकवा–0.08 ए0 भूमि प्रथम पक्ष को वापस करने हेतु द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि के खाली भू–खण्ड को सात दिनों के अंदर एवं अवस्थित संरचना को छः माह के अंदर हटाकर प्रथम पक्ष को दखल दिलाकर न्यायालय में प्रतिवेदन दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, मुसाबनी को दखल दिहानी परवाना निर्गत करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–05/08/2020 को पारित किया जा रहा है।

यदि पारित आदेश के विरूद्ध किसी को आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

05/08/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

05/08/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।